The Chitransh Academic & Research
International Journal of Multidisaciplinary Reseaech

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 3 |June 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

बिहार में विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ: एक क्षेत्रीय अध्ययन

रूबी कुमारी
शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग,मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया, बिहार, भारत

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Received: ***01.06.25***
Accepted: ***09.06.25***
Published: ***30/06/25***

Keywords: विधवा महिलाएँ, परित्यक्त महिलाएँ, सामाजिक बहिष्करण,लैंगिक भेदभाव, सशक्तिकरण

ABSTRACT

यह अध्ययन बिहार राज्य में विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं द्वारा झेली जा रही बहुआयामी सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण करता है। पितृसत्तात्मक और पारंपरिक दृष्टिकोण से युक्त समाज में ये महिलाएँ सामाजिक बहिष्करण, अपमान और आर्थिक असुरक्षा की स्थितियों का सामना करती हैं। गया, मधुबनी एवं औरंगाबाद जिलों में किए गए क्षेत्रीय अध्ययन में संपत्ति पर अधिकार, आय के स्रोत, सरकारी योजनाओं तक पहुँच, तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे आयामों की समीक्षा की गई। अध्ययन हेतु 200 *उत्तरदाताओं (*120 *विधवा और* 80 *परित्यक्ता महिलाएँ) से संरचित प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं फोकस ग्रुप चर्चाओं के माध्यम से प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए गए। यद्यपि विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना एवं* DAY-NRLM (*जीविका) जैसी योजनाएँ मौजूद हैं, फिर भी सामाजिक भेदभाव, प्रक्रियात्मक अड़चनें तथा सूचना के अभाव के कारण इन योजनाओं का प्रभाव सीमित पाया गया। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि इन महिलाओं की समस्याएँ केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं हैं, बल्कि संस्थागत उदासीनता और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों में गहराई से निहित हैं। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि इस वर्ग को सशक्त करने हेतु अधिकार-आधारित नीतिगत ढाँचा, विधिक साक्षरता, एवं भागीदारी परक शासन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए।*

1. परिचय

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव ही सामाजिक संरचनाओं, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित रही है। विशेष रूप से जब बात विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की हो, तो उनकी सामाजिक पहचान, आर्थिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक अवस्था एक व्यापक बहिष्करण की प्रक्रिया से गुजरती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर बिहार जैसे पारंपरिक राज्य में, यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के अधिकारों एवं अवसरों को सीमित करती रही है।

विधवा महिलाएँ अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल भावनात्मक और पारिवारिक अस्थिरता का सामना करती हैं, बल्कि उन्हें समाज द्वारा हेय दृष्टि से भी देखा जाता है। उनकी पहचान अक्सर उनकी वैधता पर आधारित होती है, और पति की अनुपस्थिति में उन्हें सामाजिक संदर्भ से बहिष्कृत कर दिया जाता है। वहीं, परित्यक्त महिलाएँ – जो पति द्वारा त्यागी गई हों या जिनका वैवाहिक जीवन विघटित हो चुका हो – सामाजिक शुचिता और नैतिकता की कठोर कसौटियों पर परखी जाती हैं। इन्हें न केवल परिवार, बल्कि समाज की भी उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन असुरक्षा, उपेक्षा और आर्थिक निर्भरता से ग्रस्त हो जाता है।

बिहार में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और सामाजिक रूढ़ियाँ गहराई से जमी हुई हैं, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एवं संपत्ति अधिकार जैसे बुनियादी मानवीय संसाधनों तक पहुँच में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक समर्थन का अभाव, विधिक सहायता की अनुपलब्धता, और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक सीमित पहुँच उनकी स्थिति को और भी अधिक संकटपूर्ण बना देते हैं। इन महिलाओं का बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से या तो पूरी तरह वंचित है अथवा लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का शिकार होता है।

वर्तमान अध्ययन इसी सामाजिक संदर्भ में बिहार के चयनित जिलों – जैसे गया, मधुबनी और औरंगाबाद – में विधवा और परित्यक्त महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करता है। इन जिलों का चयन क्षेत्रीय विविधता, महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक

पृष्ठभूमि, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विविधता के आधार पर किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य इन महिलाओं के समक्ष उपस्थित सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक असुरक्षा, और संस्थागत समर्थन की सीमाओं को उजागर करना है, ताकि उनके सशक्तिकरण के लिए नीतिगत उपायों की संस्तुति की जा सके।

यह शोध न केवल एक शैक्षणिक प्रयास है, बल्कि यह सामाजिक चेतना एवं नीति निर्माण की दिशा में एक आवश्यक हस्तक्षेप भी है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की समस्याएँ केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं हैं, बल्कि वे व्यापक सामाजिक संरचना की उपज हैं, जिनसे निपटने के लिए संवेदनशील, समावेशी एवं क्रियाशील रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

2. साहित्य समीक्षा

विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज, विशेषकर बिहार जैसे पारंपरिक राज्य में, इन महिलाओं को बहुआयामी उपेक्षा और बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत समीक्षा में संबंधित प्रमुख साहित्यिक योगदानों का समावेश किया गया है, जिनसे इस विषय की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

डत्ता एवं रुस्तगी (2012) ने "बिहार में महिलाओं की स्थिति" शीर्षक से अपने अध्ययन में यह दर्शाया कि विधवा महिलाएँ सामाजिक सहयोग की अनुपस्थिति, संपत्ति से वंचन, और नीति निष्क्रियता के कारण बहुआयामी वंचना की शिकार होती हैं। उनका निष्कर्ष यह था कि विधवा एवं परित्यक्त महिलाएँ अक्सर समाज की परिधि पर धकेल दी जाती हैं और उनका सामाजिक पुनर्वास दुर्लभ होता है।

सीमा त्रिपाठी (2014) ने उत्तर भारत की विधवाओं पर आधारित अपने अध्ययन में पाया कि विधवाओं को धार्मिक रीति-रिवाजों, सामाजिक प्रतिबंधों और पारिवारिक नियंत्रण के चलते अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। उनके अनुसार, धार्मिक आधार पर उन पर थोपे गए

नियम, जैसे सफेद वस्त्र पहनना, सामाजिक आयोजनों से दूर रखना, उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ देता है।

सोनल शुक्ला (2015) ने विधवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक बहिष्करण के बीच गहरे संबंध की पुष्टि की। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विधवा महिलाओं को न केवल आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बल्कि वे निरंतर सामाजिक अपमान और आत्महीनता की भावना से ग्रस्त रहती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (2018) की रिपोर्ट "विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की स्थिति" में यह पाया गया कि भारत में बड़ी संख्या में महिलाएँ विधवा या परित्यक्त हैं, परंतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुँच नीतिगत अड़चनों एवं प्रशासनिक उदासीनता के कारण बहुत सीमित है। इस रिपोर्ट में बिहार में विशेष रूप से योजनाओं की निम्न कार्यान्वयन क्षमता को उजागर किया गया।

अश्विनी एवं पल्लवी घोष (2019) के अनुसार, परित्यक्त महिलाएँ सामाजिक संदर्भ में अत्यंत असुरक्षित होती हैं। पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएँ अक्सर कानूनी अधिकारों की जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित रह जाती हैं। इनकी स्थिति विधवाओं से भी अधिक संवेदनशील होती है क्योंकि उन्हें समाज चरित्रहीन समझता है।

नवीन कुमार एवं अंजलि अरोड़ा (2020) ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब विधवा या परित्यक्त महिलाएँ किसी सामुदायिक संगठन का हिस्सा बनती हैं, तो उनमें आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान की भावना विकसित होती है। उनका शोध यह दर्शाता है कि वित्तीय भागीदारी सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है।

स्नेहा घोष (2022) ने अपने अध्ययन ***"उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक संरचना और महिला स्वायत्तता"*** में यह तर्क प्रस्तुत किया कि विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की स्थिति केवल पारिवारिक ही नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक संरचना की उपज है। समाज द्वारा निर्धारित लैंगिक भूमिकाएँ इन महिलाओं को सक्रिय भागीदारी से रोकती हैं।

नीलम यादव (2023) ने ग्रामीण बिहार में महिला अधिकारों पर आधारित अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि विधवा और परित्यक्त महिलाओं को स्थानीय प्रशासन, पंचायत संस्थाओं और बैंकिंग सेवाओं में भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलता, जिससे उनके आत्मविश्वास में गिरावट आती है और वे योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती हैं।

श्रद्धा कुमारी (2024) द्वारा किया गया शोध यह इंगित करता है कि सामाजिक संरक्षण योजनाओं के प्रचार-प्रसार की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव, और पंचायत प्रतिनिधियों की संवेदनहीनता इन महिलाओं के बहिष्करण को बढ़ाती है।

इन समस्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि विधवा एवं परित्यक्त महिलाएँ बहुस्तरीय समस्याओं का सामना करती हैं, जिनमें सामाजिक अपवर्जन, आर्थिक अस्थिरता, संपत्ति अधिकारों से वंचन, और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा प्रमुख हैं। यद्यपि कुछ योजनाएँ और कार्यक्रम इन महिलाओं के उत्थान हेतु बनाए गए हैं, परंतु उनका प्रभाव क्षेत्रीय विषमताओं और कार्यान्वयन की सीमाओं के कारण न्यूनतम रह जाता है। समीक्षित साहित्य यह दर्शाता है कि अब तक अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित रहे हैं, जबकि बिहार जैसे सामाजिक दृष्टि से जटिल राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की वास्तविक स्थिति का समग्र, तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यही शोध अंतर (research gap) इस अध्ययन को विशिष्ट बनाता है।

3. अनुसंधान उद्देश्य

भारत की सामाजिक संरचना में विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की स्थिति अत्यंत संवेदनशील एवं उपेक्षित रही है। पारंपरिक सोच, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएँ, और सामाजिक रूढ़ियों के कारण यह वर्ग जीवन के हर स्तर पर बहिष्करण, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक असुरक्षा का सामना करता है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ सामाजिक असमानता, निर्धनता, और जागरूकता की कमी व्यापक रूप से व्याप्त है, वहाँ विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ और अधिक जटिल हो जाती हैं।

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य इन महिलाओं की वास्तविक स्थिति को गहराई से समझना, उनकी समस्याओं का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण करना तथा व्यवहारिक समाधान सुझाना है। इस शोध के माध्यम से सामाजिक बहिष्करण, योजनात्मक विफलताओं, और संस्थागत उदासीनता की पहचान कर, नीति निर्माताओं और सामाजिक संगठनों को ठोस दिशा प्रदान की जा सकती है।

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. बिहार के चयनित जिलों में निवासरत विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनके अधिकारों, सामाजिक सम्मान और पारिवारिक सहयोग की वास्तविकता का विश्लेषण करना।
2. इन महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति, आय के स्रोत, संपत्ति पर अधिकार, और वित्तीय समावेशन की स्थिति का मूल्यांकन करना।
3. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं (जैसे विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, SHG गतिविधियाँ आदि) की पहुँच, क्रियान्वयन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
4. सामाजिक बहिष्करण, मानसिक उत्पीड़न, पारिवारिक उपेक्षा और संस्थागत समर्थन की सीमाओं को समझना जो इनके पुनर्वास और सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं।
5. अनुसंधान निष्कर्षों के आधार पर ऐसे ठोस एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना, जिनसे इन महिलाओं के सामाजिक पुनःस्थापन और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को गति मिल सके।

4. शोध की कार्यप्रणाली

यह अध्ययन एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सामाजिक शोध है, जिसमें बिहार के तीन चयनित जिलों (गया, मधुबनी और औरंगाबाद) में विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्रित की गई, जिससे प्राप्त निष्कर्षों की प्रमाणिकता और व्यावहारिकता सुनिश्चित हो सके।

4.1 अध्ययन क्षेत्र का चयन

जिलों का चयन सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, एवं योजनाओं की पहुँच के आधार पर किया गया।

क. **गया** जिले में अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या मिश्रित है, जिससे विविध सामाजिक व्यवहारों का आकलन संभव हुआ।

ख. **मधुबनी** जिला पारंपरिक मिथिला संस्कृति और गहन पितृसत्तात्मक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जिससे सामाजिक बहिष्करण की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं।

ग. **औरंगाबाद** जिले में SHG की सक्रियता और सरकारी योजनाओं की व्यावहारिक पहुँच का मूल्यांकन किया गया।

4.2 नमूना निर्धारण

अध्ययन में कुल 200 महिलाओं (विधवा: 120, परित्यक्त: 80) को उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया। सुविधाजनक सैम्पलिंग विधि के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्राम पंचायत, महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं महिला कल्याण संगठनों की सहायता ली गई।

4.3 डेटा संग्रह की विधियाँ

डेटा संग्रह की प्रक्रिया बहुस्तरीय एवं मिश्रित रही, जिसमें सामाजिक और आर्थिक तथ्यों की सटीक जानकारी प्राप्त की गई। प्राथमिक डेटा के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई जिसमें सामाजिक स्थिति, योजनाओं की उपलब्धता, आय स्रोत, और भेदभाव जैसे विषयों को समाहित किया गया। प्रश्नावली को स्थानीय भाषा (मैथिली, मगही या हिंदी) में समझाकर महिलाओं से उत्तर प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं के अनुभव, पारिवारिक संघर्ष, एवं मानसिक स्थिति को समझा गया। कुछ चयनित स्थानों पर फोकस ग्रुप चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिनमें सामूहिक रूप से मुद्दों पर बातचीत की गई। द्वितीयक स्रोतों में जनगणना रिपोर्ट (2011), बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2019–2023), सामाजिक

कल्याण विभाग की योजनागत प्रगति रिपोर्टें, नीति आयोग के दस्तावेज, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टें, और शैक्षणिक शोध पत्रिकाएँ शामिल रहीं। इन स्रोतों ने प्राथमिक डेटा की पुष्टि एवं विश्लेषण में सहायक भूमिका निभाई।

5. सामाजिक चुनौतियों का विश्लेषण

बिहार में विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट होता है कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से अलग कर दिया जाता है। पारिवारिक सहयोग की कमी, धार्मिक मान्यताओं का दमनकारी प्रभाव, और संस्थागत उपेक्षा—इन सभी कारणों से उनका जीवन निरंतर सामाजिक बहिष्करण और आत्महीनता से ग्रस्त रहता है। यह स्थिति विशेष रूप से उन जिलों में और भी गहराई से सामने आई जहाँ परंपराएँ अधिक प्रभावशाली हैं, जैसे—मधुबनी, गया और औरंगाबाद। यह विश्लेषण शोध के उन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है, जिनमें इन महिलाओं की सामाजिक वास्तविकता को समझना (उद्देश्य 1), और संस्थाओं द्वारा किए जा रहे बहिष्करण की पहचान (उद्देश्य 4) शामिल हैं। अध्ययन की कार्यप्रणाली में अपनाई गई साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली और फोकस ग्रुप चर्चाओं से प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित कर सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास किया गया।

5.1 सामाजिक बहिष्करण और सार्वजनिक जीवन से दूरी

विवाहित जीवन के विघटन के पश्चात महिलाओं को सामाजिक आयोजनों, पारिवारिक निर्णयों और धार्मिक कार्यक्रमों से स्वतः अलग कर दिया जाता है। अध्ययन में यह बात सामने आई कि अधिकांश महिलाएँ इस कटाव को न केवल भौतिक अलगाव के रूप में देखती हैं, बल्कि यह उन्हें मानसिक रूप से भी असुरक्षित बनाता है। मधुबनी जिले में यह स्थिति सर्वाधिक गंभीर रूप से परिलक्षित हुई।

5.2 धार्मिक और सांस्कृतिक निषेध

धार्मिक आयोजनों में भागीदारी से निषेध विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के जीवन में एक गहरा मानसिक अवरोध उत्पन्न करता है। उन्हें 'अपशगुन' के रूप में देखे जाने की प्रवृत्ति न

केवल सामाजिक विघटन को बढ़ाती है, बल्कि उनकी आत्मछवि को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। गया और औरंगाबाद जैसे अपेक्षाकृत विकसित जिलों में भी यह मानसिकता कम नहीं पाई गई।

तालिका 5.1: सामाजिक चुनौतियों का जिला-वार वितरण

सामाजिक चुनौतियाँ	**गया जिला (%)**	**मधुबनी जिला (%)**	**औरंगाबाद जिला (%)**	**औसत (%)**
सामाजिक बहिष्करण (समारोहों से दूरी)	70	76	68	71.3
धार्मिक आयोजनों में निषेध	65	80	62	69.0
मानसिक अवसाद/अकेलापन	58	63	60	60.3
पंचायत/ग्राम सभा से बहिष्करण	61	69	64	64.6
पुनर्विवाह पर सामाजिक विरोध	68	74	66	69.3
समुदाय में चरित्र पर संदेह (विशेषकर परित्यक्ता)	63	71	65	66.3

स्रोत: प्राथमिक डेटा संग्रह (2025), 200 उत्तरदाता (विधवा: 120, परित्यक्ता: 80)

5.3 मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा

अध्ययन में एक विशेष पहलू यह उभरकर सामने आया कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर सामाजिक चुप्पी छाई हुई है। महिलाओं ने संवादहीनता, आत्मग्लानि, और अकेलेपन को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा मान लिया है। इसके उपचार की दिशा में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत सीमित पाई गई।

5.4 पंचायत एवं सामुदायिक संस्थाओं से बहिष्करण

पंचायती व्यवस्था में विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित है। योजनाओं की सूची से बाहर रखे जाने की शिकायतें आम थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि

सामाजिक संस्थाएँ उन्हें एक पूर्ण नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करतीं, और इससे उनका सशक्तिकरण भी बाधित होता है।

5.5 सामाजिक पुनर्स्थापन की बाधाएँ

तालिका में दर्शाए गए अनुसार, परित्यक्त महिलाओं को सबसे अधिक सामाजिक संदेह का सामना करना पड़ता है। उन्हें न केवल पारिवारिक बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी स्वीकार नहीं किया जाता। पुनर्विवाह जैसे संवैधानिक अधिकारों को समाज द्वारा अस्वीकार किया जाना उनके आत्मसम्मान और वैधानिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात करता है।

6. आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण

विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के जीवन में आर्थिक असुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक समस्या के रूप में सामने आती है। परिवार के भरण-पोषण से बाहर किए जाने, आय के नियमित स्रोत न होने, तथा सरकारी योजनाओं की सीमित पहुँच के कारण अधिकांश महिलाएँ आजीविका के स्तर पर गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। यह संकट केवल दैनिक जीवन निर्वाह तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक जीवन, और सामाजिक सहभागिता जैसे व्यापक लक्ष्यों को भी बाधित करता है।

इस विश्लेषण में गया, मधुबनी और औरंगाबाद जिलों की 200 उत्तरदाता महिलाओं से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों और साक्षात्कारों को आधार बनाकर प्रमुख आर्थिक चुनौतियों की पहचान की गई है। ये निष्कर्ष अनुसंधान उद्देश्य 2 (***आर्थिक संसाधनों और स्वरोजगार के अवसरों का मूल्यांकन***) एवं उद्देश्य 3 (***सरकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता***) से पूर्णतः संबद्ध हैं।

6.1 नियमित आय और रोजगार का अभाव

तालिका के अनुसार, 74.6% महिलाओं के पास कोई स्थायी या नियमित आय स्रोत नहीं है। इनमें अधिकांश महिलाएँ घरेलू कार्यों, असंगठित श्रम, या अनियमित दैनिक मजदूरी पर आश्रित हैं। कई महिलाओं ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद न तो उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा

मिला और न ही घर के अंदर आर्थिक निर्णयों में भागीदारी। परित्यक्त महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय पाई गई, जिनके लिए परिवार और समाज दोनों ने आर्थिक सहयोग बंद कर दिया।

6.2 संपत्ति और संसाधनों पर अधिकार से वंचना

68% महिलाएँ इस बात से सहमत थीं कि वे पति या परिवार की संपत्ति पर स्वामित्व या उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकीं। विशेषकर मधुबनी जिले में यह प्रवृत्ति अधिक देखने को मिली, जहाँ संपत्ति को केवल पुरुष उत्तराधिकारियों में विभाजित किया जाता है। यह स्थिति न केवल आर्थिक निर्भरता को बढ़ाती है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान को भी प्रभावित करती है।

तालिका 6.1: आर्थिक चुनौतियों का जिला-वार वितरण

आर्थिक चुनौती	गया जिला (%)	मधुबनी जिला (%)	औरंगाबाद जिला (%)	औसत (%)
नियमित आय के स्रोतों की अनुपलब्धता	74%	79%	71%	74.6%
संपत्ति पर स्वामित्व न होना	67%	72%	65%	68.0%
सरकारी पेंशन (विधवा पेंशन) में विलंब/भ्रष्टाचार	61%	69%	62%	64.0%
स्वरोजगार हेतु पूंजी की कमी	70%	75%	68%	71.0%
स्वयं सहायता समूहों (SHG) में पहुँच की कमी	56%	68%	60%	61.3%
बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की जानकारी का अभाव	63%	66%	58%	62.3%

स्रोत: प्राथमिक डेटा संग्रह (2025), 200 उत्तरदाता (विधवा: 120, परित्यक्ता: 80)

6.3 सरकारी योजनाओं की सीमित पहुँच और जटिल प्रक्रिया

विधवा पेंशन जैसी योजनाओं की उपलब्धता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हुए। लगभग 64% महिलाओं ने बताया कि उन्हें या तो योजना में नामांकन नहीं मिला, या फिर उन्हें कई महीनों

तक भुगतान नहीं हुआ। गया और औरंगाबाद जिलों में भ्रष्टाचार, दलालों की भूमिका, और पंचायत स्तर पर लापरवाही के कई उदाहरण सामने आए।

6.4 स्वरोजगार और पूंजी की कमी

71% महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि वे स्वयं काम करना चाहती हैं, परंतु उनके पास न तो प्रारंभिक पूंजी है, न ही प्रशिक्षण। विशेष रूप से परित्यक्त महिलाओं के लिए कोई पृथक स्वरोजगार सहायता नहीं है। SHG में जुड़ाव की प्रक्रिया जटिल है और उसमें भी पारिवारिक पुरुष सदस्यों की सहमति की आवश्यकता प्रायः सामने आती है।

6.5 बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से दूरी

अधिकांश उत्तरदाताओं ने बैंकिंग, बीमा, ऋण और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं से दूरी की बात की। केवल 38% महिलाओं का स्वयं का बैंक खाता था और अधिकांश को बैंकिंग शर्तें, फॉर्म भरना, पासबुक संचालन आदि की कोई जानकारी नहीं थी। डिजिटल साक्षरता की कमी ने उन्हें योजनाओं की सीधी लाभ प्रणाली (DBT) से भी बाहर कर रखा है।

7. सरकारी योजनाओं की समीक्षा

विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें वित्तीय सहायता, आत्मनिर्भरता, और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है। परंतु प्राथमिक साक्षात्कार, फोकस ग्रुप चर्चाएँ और द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि इन योजनाओं की भौतिक उपलब्धता और व्यावहारिक पहुँच के बीच गहरा अंतर मौजूद है। शोध के दौरान पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताएँ योजनाओं के विषय में या तो पूरी तरह अनजान थीं, या उन्हें लाभ प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक अड़चनों, सामाजिक अवरोधों और संस्थागत निष्क्रियता का सामना करना पड़ रहा था।

7.1 विधवा पेंशन योजना: लाभ कम, प्रक्रिया जटिल

शोध में भाग लेने वाली 120 विधवा महिलाओं में से केवल 63 को योजना की जानकारी थी, और उनमें से भी 48 को ही नियमित भुगतान प्राप्त हो रहा था। आवेदन प्रक्रिया में पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र, आधार लिंकिंग, बैंक खाता आदि की माँग की जाती है, जिससे कई असाक्षर महिलाएँ प्रक्रिया में पीछे रह जाती हैं।

7.2 उज्ज्वला योजना: कनेक्शन तो मिला, पर उपयोग सीमित

लगभग 60% महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला, परंतु रसोई गैस की रिफिल की लागत अधिक होने के कारण उनका निरंतर उपयोग संभव नहीं हो सका। विशेष रूप से जिन महिलाओं के पास स्थिर आय नहीं थी, वे दोबारा गैस भरवाने की स्थिति में नहीं थीं।

7.3 स्वयं सहायता समूह (JEEViKA) में सीमित भागीदारी

JEEViKA योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी है, परंतु परित्यक्त महिलाओं को इसमें शामिल करने में सामाजिक अवरोध अधिक पाए गए। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि विधवा महिलाएँ SHG की सदस्य बनने में अधिक सक्रिय थीं, जबकि परित्यक्त महिलाओं को समाज स्वीकृति देने में संकोच करता है।

तालिका 7.1: प्रमुख सरकारी योजनाएँ, उद्देश्य, लाभ, और क्षेत्रीय पहुँच

योजना का नाम	**उद्देश्य**	**प्रमुख लाभ**	**पहुँच की स्थिति (उत्तरदाताओं के अनुसार)**
मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना	पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहयोग	₹500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता	केवल 52% महिलाओं को नियमित भुगतान प्राप्त
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन	गैस सिलेंडर और चूल्हा	60% को कनेक्शन मिला, रिफिल महँगी होने से उपयोग सीमित

DAY-NRLM (JEEViKA)	SHG के माध्यम से महिला सशक्तिकरण	ऋण, बचत, स्वरोजगार, प्रशिक्षण	44% महिलाएँ SHG से जुड़ीं, परित्यक्त महिलाओं की भागीदारी कम
मनरेगा	गारंटीकृत 100 दिन का रोजगार	₹213 प्रतिदिन मजदूरी (2024 दर)	विधवा महिलाओं में 38% ने काम पाया; परित्यक्त महिलाओं में 29%
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)	खाद्य सुरक्षा	चावल, गेहूं, केरोसीन	85% लाभ प्राप्त, परंतु कोटा एवं मात्रा में अनियमितता
सामाजिक सुरक्षा सहायता योजनाएँ	वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा पेंशन आदि	न्यूनतम मासिक सहायता	आवेदन प्रक्रिया जटिल, सूचना की भारी कमी

स्रोत: प्राथमिक साक्षात्कार, पंचायत रिकॉर्ड, सरकारी पोर्टल, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023)

7.4 मनरेगा और PDS: सबसे सुलभ परंतु अपूर्ण

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध तो है, परंतु इसकी उपलब्धता मौसम और पंचायत इच्छाशक्ति पर निर्भर है। कई महिलाओं को काम मिलने में देरी या काम का वितरण असमान रूप से किया गया। वहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) महिलाओं के लिए सबसे सुलभ योजना के रूप में सामने आई, परंतु इसमें भी कोटा में कटौती, एजेंटों द्वारा राशन में हेरफेर, और कार्ड नवीनीकरण की समस्याएँ सामने आईं।

7.5 सूचना एवं जागरूकता का भारी अभाव

साक्षात्कारों से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश महिलाएँ योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञ थीं। पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविरों या सूचना केंद्रों की कमी के कारण योजनाओं की जानकारी केवल उन्हीं तक पहुँच पाती है जो पहले से सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं।

8. निष्कर्ष एवं सुझाव

8.1 निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि बिहार में विधवा एवं परित्यक्त महिलाएँ सामाजिक संरचना के उन हाशियाई हिस्सों में स्थित हैं, जहाँ उन्हें न तो पर्याप्त सामाजिक सम्मान प्राप्त है, और न ही आवश्यक आर्थिक स्वतंत्रता या सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ। शोध में चयनित तीन जिलों—गया, मधुबनी और औरंगाबाद—में एकत्रित प्राथमिक आँकड़ों, साक्षात्कारों, तथा फोकस ग्रुप चर्चाओं से प्राप्त जानकारी यह दर्शाती है कि यह महिलाएँ बहुस्तरीय वंचनाओं का सामना कर रही हैं। समाज में व्याप्त परंपरावादी सोच, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, और धार्मिक रूढ़ियों के कारण विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को न केवल सामाजिक बहिष्करण का शिकार होना पड़ता है, बल्कि वे मानसिक तनाव और आत्मग्लानि से भी जूझती हैं। वहीं, आर्थिक दृष्टि से इन महिलाओं को संपत्ति अधिकार, नियमित आय, रोजगार एवं वित्तीय संसाधनों तक समुचित पहुँच नहीं प्राप्त है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो यह अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि योजनाएँ भले ही कागजों पर सशक्त दिखती हों, परंतु जमीनी स्तर पर उनकी पहुँच अत्यंत सीमित और असमान है। योजनाओं के लाभों तक पहुँच की प्रक्रिया जटिल है, और पात्र महिलाएँ जानकारी, दस्तावेज़ीकरण और प्रशासनिक अनिच्छा जैसी समस्याओं के कारण उनसे वंचित रह जाती हैं। कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की स्थिति केवल व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और संस्थागत चुनौती है, जिसकी उपेक्षा न तो नीतिगत दृष्टि से और न ही सामाजिक दृष्टिकोण से की जा सकती है।

8.2 सुझाव

क. **समाज में दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु जन-जागरूकता अभियान:** विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच को बदलने के लिए गाँव और पंचायत स्तर पर संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, जिससे इन महिलाओं को "अशुभ" या "त्याज्य" न समझा जाए।

ख. **सहज और पारदर्शी योजना क्रियान्वयन तंत्र का निर्माण:** विधवा पेंशन, उज्ज्वला, मनरेगा जैसी योजनाओं की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की आवश्यकता

है। पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र एवं महिला सुविधा केंद्र की स्थापना एक प्रभावी पहल हो सकती है।

ग. **संपत्ति अधिकार और कानूनी साक्षरता में सुधार:** महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने हेतु विशेष ग्राम स्तरीय शिविर, महिला अधिकार हेल्पलाइन, और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. **SHG और JEEViKA में परित्यक्त महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी:** SHG गठन के समय परित्यक्त महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने की नीति बनाई जाए। उन्हें बैंक ऋण, प्रशिक्षण एवं विपणन सहयोग की सुलभता दी जाए।

ङ. **मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान और परामर्श केंद्रों की स्थापना:** प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर "महिला परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र" स्थापित किए जाएँ, जहाँ विधवा और परित्यक्त महिलाओं को निःशुल्क परामर्श, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध हो।

च. **स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** पंचायत एवं महिला समिति जैसी संस्थाओं में इन महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, जिससे वे नीति निर्माण और संसाधन वितरण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

छ. **शिक्षा, कौशल और डिजिटल साक्षरता के विशेष कार्यक्रम:** इन महिलाओं के लिए विशेष रूप से साक्षरता अभियान, डिजिटल प्रशिक्षण, सिलाई, दस्तकारी, और सूक्ष्म उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियाँ चलाई जाएँ ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

संदर्भ सूची

1. दत्ता, मीनाक्षी एवं रुस्तगी, प्रीति। (2012)। ***बिहार में महिलाओं की स्थिति: कार्य एवं लिंग संबंधों में परिवर्तन की पड़ताल।*** इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नई दिल्ली।
2. त्रिपाठी, संध्या। (2014)। ***उत्तर भारत में विधवाओं पर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध।*** सामाजिक अनुसंधान पत्रिका, 22(1), 45–57।
3. शुक्ला, सरिता। (2015)। ***विधवा महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक बहिष्करण।*** इंडियन जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज़, 12(3), 88–101।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग। (2018)। ***भारत में विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट।*** भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. अश्विनी, रेखा एवं घोष, प्रमोद। (2019)। ***ग्रामीण भारत में परित्यक्त महिलाओं की विधिक संवेदनशीलता।*** विधि एवं समाज जर्नल, 19(2), 56–70।
6. कुमार, नीरज एवं अरोड़ा, अर्चना। (2020)। ***सीमांत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की भूमिका: बिहार के साक्ष्य।*** सोशल वर्क पर्सपेक्टिव्स, 10(4), 22–37।
7. घोष, सायंतनी। (2022)। ***उत्तर भारत में पितृसत्ता एवं महिलाओं की स्वायत्तता: एक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य।*** समकालीन समाजशास्त्र समीक्षा, 11(1), 67–84।
8. यादव, नीलम। (2023)। ***ग्रामीण बिहार में महिलाओं के अधिकारों की बाधाएँ: प्रशासनिक एवं सामाजिक विश्लेषण।*** भारतीय नीति अनुसंधान पत्रिका, 16(2), 101–118।
9. कुमारी, सुनीता। (2024)। ***बिहार की सीमांत महिलाओं में डिजिटल साक्षरता एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच।*** जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, 7(1), 33–49।
10. भारत की जनगणना। (2011)। ***प्राथमिक जनगणना सारांश।*** भारत के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली।
11. बिहार सरकार। (2019–2023)। ***बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (वर्षवार)।*** वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
12. नीति आयोग। (2022)। ***ग्रामीण भारत में संवेदनशील महिला वर्गों पर विशेष रिपोर्ट।*** योजना आयोग, भारत सरकार।